CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ज्योतिष्पीठ-परम्परा एक अनुशीलन

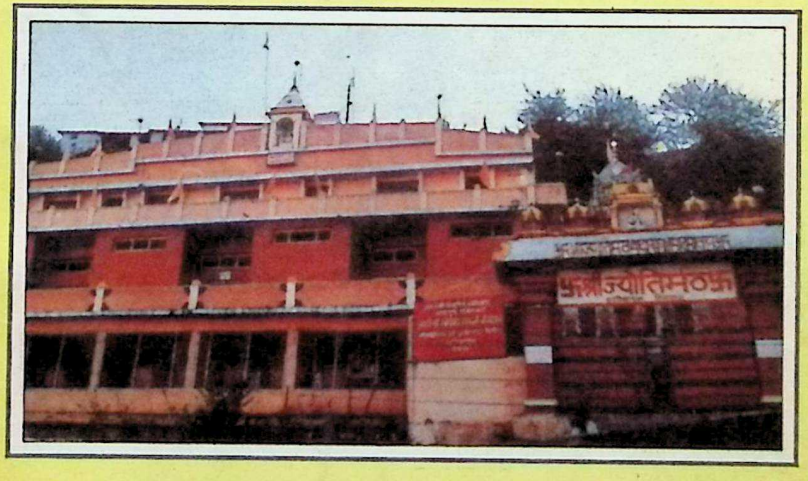

डॉ. परमहंस मिश्र

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ज्योतिष्पीठ-परम्परा
एक अनुशीलन

डॉ. परमहंस मिश्र

(न्यासाध्यक्ष)

श्री भारतधर्म महामण्डल द्वारा स्थापित समस्त ट्रस्ट मण्डल

प्रकाशक

श्रीमाता पब्लिकेशन्स

बी.४/६० हनुमानघाट,वाराणसी-२२१००१

दूरभाष-३१४४३९

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ज्योतिष्पीठ-परम्परा, एक अनुशीलन

डॉ. परमहंस मिश्र

© प्रकाशक

द्वितीय संस्करण-१९९६

मूल्य- ५.००(पांच रूपये मात्र)

मुद्रक
तारा प्रिण्टिंग वर्क्स
कमच्छा, वाराणसी

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

किञ्चिद् वक्तव्य

आदि शङ्कराचार्य ने भारतवर्ष में अवैदिक मतों को हटाकर वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया और वैदिक परम्परा अक्षुण्ण रूप से चलती रहे इसके लिए भारत की चार दिशाओं में चार आम्नाय मठों की स्थापना की। साथ ही 'मठाम्नाय महानुशासन' नाम से इसका संविधान बनाया। जिसके अनुसार इन चारों पीठों की परम्पस चल रही है। 'महानुशासन' में पीठाभिषेक के योग्य उस दण्डी सन्यासी को माना गया है जो शुचि, जितेन्द्रिय, वेद वेदाङ्गविशारद तथा समस्त शास्त्रों का उत्तम समन्वयकर्त्ता हो। साथ ही स्पष्ट निर्देश है किं उक्त लक्षणों से असम्पन्न व्यक्ति यदि किसी तरह पीठ पर बैठ भी गया हो तो विद्वानों का कर्तव्य है कि उसका निग्रह करें।

शङ्कराचार्य के पीठ ज्ञानपीठ हैं, उनमें केवल मन्त्रोपदेष्टा अथवा सम्पत्ति का रक्षक ही नहीं अपितु वेदवेङ्गागों के विद्वान् श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ प्रतिष्ठित होते है और प्रायः योग्य शिष्यों के द्वारा उनकी परम्परा चलती है। दुर्योग से ज्योतिष्पीठ की परम्परा १६५ वर्षों तक उच्छिन्न रही। वहाँ के अन्तिम शङ्कराचार्य स्वामी रामकृष्णतीर्थ के ब्रह्मीभूत होने पर किसी योग्य शिष्य के अभाव में यह स्थिति बनी। इसके पहले तक भगवान् बदरीनाथ के मन्दिर की पूजा वहाँ के सन्यासी आंचार्यों द्वारा होती थी, उनके न रहने पर रावलों की परम्परा प्रारम्भ हुई। चूँकि भगवान् बदरीनाथ की मूर्ति योगमूर्ति मानी जाती है इसलिए उसका अर्चक बाल ब्रह्मचारी होता है। यह नियम अभी भी रावलों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चल रहा है, यही नियम इस परम्परा के पीठाभिषिक्त सन्यासी आचार्यों के लिए भी

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

था।

सन् १९४० में सनातनधर्म की संस्था 'भारत धर्म महामण्डल' के सत्प्रयास से इस पीठ का उद्धार हुआ और उन्होंने सन्यासी समाज में सुयोग्य सन्यासी महानुशासन में वर्णित योग्यताओं से युक्त बालब्रह्मचारी स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी को अभिषिक्त किया, और एक न्यासपत्र (Trust dead) के द्वारा इनको एक मात्र ट्रस्टी बनाकर ज्योतिष्पीठ की अर्जित भूमि तथा भवन इनको समर्पित कर दिया। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र यतिचक्रचूड़ामणि ब्रह्मविद्वरिष्ठ स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज ने इस पीठ का कुशलता पूर्वक १२ वर्षों तक सञ्चालन किया, तदन्तर ब्रह्मीभूत हो गये। उनके ब्रह्मीभूत होने पर यह विचार चला कि उनके स्थान पर किसका अभिषेक किया जाय? इसी बीच कुछ लोगों ने एक वसीयत (जिसकी प्रामाणिकता अत्यन्त संदिग्ध है) प्रस्तुत की और तदनुसार वे लोग स्वामी शान्तानन्द को अभिषिक्त करने पर जोर देने लगे। पर काशी के विद्वानों, महात्माओं ने इसका विरोध किया और महानुशासन विहित योग्यता संधारक स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी को स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज के स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। इस पर बहुत दिनों तक न्यायालय में विवाद चलता रहा जो आज भी अनिर्णीत है तथा न्यायालय में विचाराधीन है।

भारत धर्म महामण्डल ने विवाद के चलते स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी को समर्थन दे रखा था पर उनके ब्रह्मीभूत हो जाने पर पीठ की गरिमामयी परम्परा के पुनरुच्छेद की आशंका से ट्रस्ट डीड में उल्लिखित अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी के वरिष्ठतम सुयोग्य शिष्य विश्ववन्द्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज का अभिषेक किया जिसका न केवल शेष तीन शङ्कराचार्यों ने समर्थन किया अपितु दो शङ्कराचार्यों (द्वारका एवं पुरी) ने स्वयं भाग

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

लिया तथा तीसरे (शृङ्गेरी) ने आने में असमर्थता व्यक्त कर प्रतिनिधि भेजा। अनेक विद्वानों, राजनयिकों तथा गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्वामी ब्रह्मानन्द जी की तथाकथित वसीयत को यदि थोड़ी देर के लिए सत्य भी मान लिया जाए तो उसमें जिन चार व्यक्तियों के नाम का उल्लेख था उनमें से तीन (शान्तानन्द, विष्णुदेवानन्द तथा द्वारकेशानन्द) गृहस्थाश्रम में रहकर सन्तानोत्पत्ति कर चुके थे चौथे (परमानन्द) के पांव का अंगूठा कटा था अतः सभी के अभिषेक के अयोग्य होने पर विवश होकर भारत धर्म महामण्डल को पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज का अभिषेक करना पड़ा।

इस सम्बन्ध में जनता को समुचित एवं पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो, वे पीठ की महान् परम्पराओं और महत्व को समझें, इस उद्देश्य से इस विवाद के वाद बिन्दुओं तथा परिस्थिति पर हमने प्रयास डालने का प्रयत्न किया है। हमें विश्वास है कि सुधी पाठक लाभान्वित होंगे तथा एतत्सम्बन्धी भ्रम का परिमार्जन होगा।

परमहंस मिश्र

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ज्योतिष्पीठ-परम्परा, एक अनुशीलन

आद्य शंकराचार्य ने सुदूर केरल प्रदेश के कालड़ी ग्राम में अवतार लिया था। सन्यास ग्रहण कर उन्होंने सम्पूर्ण भारत-वर्ष का परिभ्रमण किया और अपने समय में प्रचारित अवैदिक मतों का खण्डन कर उन्होंने वैदिक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। सनातन धर्म की मर्यादाएं सुरक्षित रहें, और उसके विरोधी अवैदिक मतों का प्रचार कर लोगों को दिग्भ्रमित न कर सकें, इसके लिये आचार्य श्री ने महनीय प्रयास किया। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में धर्म की चार राजधानियां स्थापित कीं । उत्तर में बदरीनारायण के समीप ज्योतिष्पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारकाशारदापीठ तथा दक्षिण में शृंगेरी पीठ। उपर्युक्त पीठों की मर्यादा अक्षुण्ण बनी रहे एतदर्थ उन मठों पर अपने चार शिष्यों को पदासीन किया, उन्हें शंकराचार्य नाम से अभिहित किया तथा उक्त पीठ पर पदासीन होने वाले भावी आचार्य की योग्यता को निर्धारित कर मठाम्नाय एवं महानुशासन का प्रवर्त्तन किया। इसमें शंकराचार्य पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिये आवश्यक योग्यताओं के निर्धारण के साथ-साथ मठों के महानुशासनार्थ अनेक नियमों उपनियमों का भी समावेश किया गया है। आचार्य की यह इच्छा थी कि मूर्धन्य कोटि के विद्वान् ,सदाचारी, तपोनिष्ठ, वेदवेदांगादि विशारद एवं सर्वशास्त्रों के ज्ञाता ही उक्त पद को धारण करें। इसीलिए वहाँ कहा गया है कि-

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

शुचिर्जितेन्द्रियो वेदवेदांगादि विशारदः।
योगज्ञः सर्वशास्त्राणां स मदास्थानमाप्नुयात् ।।

उक्त लक्षणसम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग् भवेत्।
अन्यथारूढ़पीठोऽपि निग्रहार्हो मनीषिणाम् ।।

आचार्य द्वारा विनिर्दिष्ट इन योग्यताओं के धारक ही शंकराचार्य पद पर आसीन हो सकते हैं। यदि उनमें ऐसी योग्यताएं नहीं हैं तो मनीषी तथा सनातन धर्मानुयायी संस्थाएँ पदारूढ़ होने पर भी अयोग्य व्यक्ति को पद से मुक्त कर सकती हैं। आचार्य की योग्यता निर्धारण के परिज्ञान के पश्चात् अब ज्योतिष्पीठ का ऐतिहासिक परिवेश में विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

ज्योतिष्पीठ की परम्परा

आचार्य शंकर ने ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही बदरीनाथ धाम की यात्रा की थी। उस समय बौद्धों ने भगवान् बदरीनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर उनकी प्रतिमा को नारद कुण्ड में फेंक दिया था। आचार्य श्री ने योगबल से उस प्रतिमा को ढूँढ निकाला तथा उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। उन्होंने ध्वस्त मंदिर का पुर्ननिर्माण करा दिया । बदरीनाथ में शीतकाल में अत्यधिक बर्फ गिरती है, इसलिये उन्होंने बदरीनाथ में स्थापित ज्योतिर्मठ का स्थायी कार्यालय जोशीमठ में बनाया। पुराणों में ज्योतिर्मठ को गुप्त तीर्थ कहा गया है। वहाँ पर ब्रह्मज्योति का स्थायी रूप से निवास है तथा वह ज्योति मुक्ति दायिनी है। यहीं पर आचार्य श्री ने दो वर्षों तक तप का वरण किया और उन्हें उस ज्योति का दर्शन हुआ। इस ज्योति को धर्मज्योति भी कहा जाता है। इसी ज्योति के प्रकाश से आचार्य पाद ने विधर्मियों के मतों का खण्डन कर सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाये रखने में महनीय सफलता प्राप्त की। इस ज्योति का प्रताप उनके द्वारा स्थापित ज्योतिष्पीठ पर पदासीन शंकराचार्य में दिखाई पड़ता है।

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

आचार्यपाद ने अपने प्रिय शिष्य त्रोटकाचार्य को ज्योतिर्मठ के प्रथम आचार्य पद पर आसीन किया और अपने द्वारा पुनर्स्थापित भगवान् बदरीनारायण की पूजा अर्चा का भार उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। तब से शंकराचार्य की व्यवस्था में ही बदरीनारायण मंदिर की पूजा व्यवस्था चलती रही। इनमें इक्कीस आचार्य चिरजीवी थे और ये वे आचार्य थे जिनका नाम बदरीनाथ मंदिर की परम्परा में उल्लिखित है। ज्योतिर्मठ के अन्तिम आचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी रामकृष्ण आश्रम थे, जो सम्वत् १८३३ तक पदारूढ़ रहे। उनके ब्रह्मीभूत हो जाने पर मठाम्नाय एवं महानुशासन वर्णित योग्यताओं का धारक व्यक्ति न मिल सका। इसी बीच गढ़वाल राज्य की तत्कालीन राजनीतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां बद से बदतर होती गईं। फलतः ज्योतिर्मठ की गद्दी सम्वत् १९९८ तक (लगभग १६५ वर्षों तक) रिक्त पड़ी रही। इस बीच मंदिर की पूजा अर्चना का भार गढ़वाल नरेश के आदेश से वहाँ के पुजारी को, जो बाल-ब्रह्मचारी होते थे, और जिन्हें "रावल"की उपाधि दी गई थी, को सौंप दिया गया। यह व्यवस्था सन् १९४०ई. तक चलती रही। पूजन-अर्चन की इस वैकल्पिक व्यवस्था से साथ-साथ शंकराचार्य की गद्दी अविच्छिन्न रूप से बदरीनाथ के मंदिर में लगती रही, जिसे आज भी बदरीनाथ के मंदिर और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में देखा जा सकता है। ज्योतिर्मठ के आचार्य विहीन होकर जीर्णशीर्ण हो जाने पर आचार्य शंकर एवं त्रोटकाचार्य की गुफाएँ, अमर शहतूत वृक्ष और भगवान् ज्योतिरीश्वर ये सभी अवशेष मठ का पता निर्देश करने के लिये अस्तित्व में बने रहे।

सम्वत् १९५८ (सन् १९०१) में भारत धर्म महामण्डल की स्थापना हुई थी। स्थापना के ३५ वर्षों बाद श्री भारतधर्म महामण्डल के उत्कर्षकाल में सम्वत् १९९५ के आस-पास इसके संस्थापक पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराज का ध्यान ज्योतिर्मठ की ओर गया उन्होंने अन्य तीन

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

पीठों के शंकराचार्यों, तत्कालीन राजाओं- महाराजाओं और सनातन धर्मी विद्वानों की सहमति से ज्योतिर्मठ के लगभग विच्छिन्न अवशेषों की खोज हेतु एक शिष्ट मण्डल बदरिकाश्रम भेजा तथा उसकी जानकारी के आधार पर जोशीमठ की भूमि का पता लगाया। त्रोटकाचार्य की गुफा के आधार पर उन्होंने मठ की भूमि निश्चित करके टिहरी गढ़वाल के तत्कालीन जिलाधीश महोदय के सौजन्य से वह भूमि भी ज्योतिर्मठ के लिये प्राप्त कर लिया जो सरकारी कागजातों में ज्योतिर्मठ के नाम से अंकित चली आ रही थी।

इसके पश्चात् स्वामी ज्ञानानन्द जी महाराज ने भारत धर्म महामण्डल के तत्वावधान में तीन शंकराचार्यों,राजाओं-महाराजाओं एवं सनातनधर्मी विद्वानों के सहयोग से परम विद्वान् , मनीषी, त्रिकालदर्शी एवं परम तपस्वी स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती को मठाम्नाय एवं महानुशासन में वर्णित सभी योग्यताओं का धारक मानकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी संवत् १९९८ को अभिषिक्त कर दिया इसकी घोषणा श्री भारतधर्ममहामण्डल के तत्कालीन सभापति श्रीमान् महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह बहादुर, K.C.I.E.D.D.Litt ने काशी के अखिल भारतीय सनातन धर्म के महा सम्मेलन में की। स्वामी ज्ञानानन्द जी महाराज ने जो भूमि प्राप्त की थी वहीं उन्होंने पूर्णाम्बा तथा ज्योतिरीश्वर के मंदिरों तथा ज्योतिर्मठ का निर्माण किया एवं काशी की वरुणातट की भूमि को मिलाकर एक ट्रस्टडीड बनाया और उन्हें (श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज को) उसका एक मात्र ट्रस्टी बना दिया। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का शंकराचार्य पद पर सन् १९४१ ई. में काशी में ही अभिषेक हुआ था।

इसी बीच बदरीनाथ मंदिर के प्रभारी पुजारी श्री वासुदेव रावल ने रावलों की परम्परा के विपरीत विवाह कर लिया । फलतः स्थानीय लोगों ने इसका घोर विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की तत्कालीन

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सरकार ने "बदरीनाथ केदारनाथ,टेम्पुल मैनेजमन्ट एक्ट" सन् १९३९ ई. में पारित किया और सर सीताराम को मंदिर की व्यवस्था की देखरेख के लिए उस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज का अभिषेक इस समिति के गठन के पश्चात् काशी में चैत्र शुक्ल चतुर्थी सम्वत् १९९८ को हुआ था। बदरीनाथ केदारनाथ,टेम्पुल मैनेजमन्ट समिति ने स्वामी ब्रह्मानन्द जी को शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ के रूप में मान्यता नहीं दी। फलतः स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज कभी बदरीनाथ गये ही नहीं। उन्होंने १२ वर्षों तक शंकराचार्य पद के गुरुतर भार का उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से निर्वाह किया। उच्छिन्न ज्योतिर्मठ के जीर्णोद्वार की व्यवस्था की और मठ के लगभग सभी अधूरे कार्यों को पूर्णता प्रदान की। सन् १९५३ ई. की २१मई को स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज ब्रह्मलीन हो गये। भारतधर्म महामण्डल ने स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज के योग्यतम शिष्य परमवीतराग, धर्मसम्राट् स्वामी करपात्री जी महाराज को उस पद पर अभिषिक्त करना चाहा परन्तु पूज्यवर ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के पद को लेकर विवाद उपस्थित हो गया। विवाद का प्रमुख कारण स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज की तथाकथित वसीयत थी। उनकी वसीयत में आचार्य पद पर पदासीन होने वालों के नाम तथा तत्सम्बद्ध व्यवस्थाएँ निम्नरूप में अंकित हैं।

"१. श्री १०८ दण्डी स्वामी शान्तानन्द सरस्वती, पूर्वनाम श्रीरामजी त्रिपाठी, पिता का नाम लालबिहारी जी त्रिपाठी निवासी ग्राम अछती पोस्ट-वानपुर जिला-बस्ती।

२. श्री पं. द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी शास्त्री पिता का नाम पं. राममनोहर त्रिपाठी ग्राम हैला वगदरी पो. मानपुर जिला- बाँदा। इनके साथ शर्त यह है कि उपयुक्त समय आने पर यदि पं.द्वारका प्रसाद मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी शिष्य द्वारा

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सन्यास की दीक्षा लेकर दण्ड धारण कर चुके होंगे, अन्यथा नहीं।

३. श्री १०८ स्वामी विष्णुदेवानन्द जी सरस्वनी पूर्व नाम पं. फूलचन्द जी शुक्ल पिता का नाम पं. भगवती प्रसाद जी शुक्त, निवासी ग्राम जिबली, पो.-अहरौली जिला-आजमगढ़ ।

४. स्वामी परमानन्द जी सरस्वती पूर्वनाम पं. देवकीनन्दन जी पाण्डेय पिता का नाम पं. अम्बिका प्रसाद जी पाण्डेय निवासी ग्राम-क्योंटरा, पो.-क्योटरा जि.-इटावा ।

मेरे पश्चात् उत्तराधिकारी बनने का विधान इस प्रकार करता हूँ कि मेरे समाधिस्थ होने पर ऊपर कहे हुए शिष्य नं.१ मेरे इस आदेशानुसार आचार्य पर पर अभिषिक्त होकर ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य होंगे। यदि मेरा स्थान रिक्त होने के समय उक्त शिष्य जीवित न हों अथवा आचार्य पद पर आना स्वीकार न करें अथवा तत्कालीन परिस्थिति अथवा शारीरिक एवं मानसिक दशा के कारण स्वीकृति देने में समर्थ न हों तो मेरे पश्चात् मेरे रिक्त आचार्य पद पर मेरे शिष्य जिनका नाम नं. २ पर लिखा है, ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य होगें परन्तु शर्त यह है कि यदि उपयुक्त समय आने पर नं. २ पर लिखे हुए पं.द्वारका प्रसाद मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी शिष्य द्वारा सन्यास की दीक्षा लेकर दण्ड धारण कर चुके होंगे,आचार्य पद स्वीकार करें तो उनके पश्चात् उनके रिक्त पद पर उपरोक्त नं. २ पर वर्णित शिष्य ऊपर लिखे हुए शर्त के साथ ज्योतिर्मठ के उत्तराधिकारी शंकराचार्य होंगे। मेरा स्पष्ट तात्पर्य यह है कि जब तक नं. २ पर वर्णित शिष्य जीवित रहें और शारीरिक अथवा मानसिक असमर्थता के कारण शंकराचार्य पद के उत्तरदायित्व के निर्वाह कर सकने में अयोग्य न हो जायें अथवा जब तक वे स्वेच्छा से स्पष्ट रूपेण आचार्य पद ग्रहण करना अस्वीकार न कर दें तब तक उनके अतिरिक्त कोई अन्य शिष्य प्रथम वर्णित गुरु के पश्चात् मेरी परम्परा में ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य न हो सकेगा। इस आज्ञा के विरुद्ध उत्तराधिकारी निश्चित करने का अधिकार प्रथम वर्णित शिष्य का नहीं होगा और इसी भाँति नं. ३ और नं.४ पर वर्णित शिष्यों की उपस्थिति में तथा उनमें आचार्य पद का उत्तरादायित्त्व निर्वाह करने का सामर्थ्य रहने द्वितीय शंकराचार्य और तृतीय

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

शंकराचार्य को भी मेरी निर्धारित उक्त परम्परा के विरुद्ध उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार न होगा। परन्तु ऊपर वर्णित चार शंकराचार्यों में से आचार्य पद पर प्रतिष्ठित अन्तिम शंकराचार्य को तथा उनके पश्चात् आचार्य परम्परा में ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्यों को अनिवार्य होगा कि आचार्य परम्परा अविच्छिन्न रखने के लिये तथा उनके पश्चात् पीठ के प्रबन्ध और कार्य में क्षति न पहुँच सके इसलिए अपने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहने की दशा में ही पीठ की शिष्य परम्परा में से ही सबसे सुयोग्य शिष्य को ही छुटाई बड़ाई का विशेष ध्यान न करके योग्यता पर विशेष लक्ष्य रखकर अपने पश्चात् ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य होने के लिये अपने उत्तरधिकारी को मनोनीत कर दें। अथवा लिखित वसीयत द्वारा समय के कानून के अधीन यह स्पष्ट कर दे कि उनके पश्चात् कौन उनका उत्तराधिकारी शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ का होगा। यदि संयोगवश कोई आचार्य अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति न कर पाये तो ऐसी परिस्थिति के लिये मेरा यह आदेश है कि उत्तर भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाली सनातन धर्मानुयायी धार्मिक संस्थाओं का तथा सनातन धर्मानुयायी वर्णाश्रमी विद्वानों का कर्त्तव्य होगा कि वे एकत्रित होकर ज्योतिष्पीठ शिष्य परम्परा में से और यदि ज्योतिष्पीठ शिष्य परम्परा में कोई सुयोग्य शिष्य न प्राप्त हो तो, अन्य तीन पीठों के शिष्य परम्परा में से सरस्वती, आश्रम, तीर्थ नाम के दण्डी सन्यासियों से ही जो विद्वान सच्चिरित्र और योग्य हों और पंचगौड़ ब्राह्मणों में हो उसको ही पीठ रिक्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र सम्भव हो तो एक पक्ष के भीतर शास्त्रीय विधि विधान द्वारा आचार्य पद पर अभिषिक्त करके ज्योतिष्पीठ शंकराचार्य प्रतिष्ठित कर दें और आचार्य परम्परा को जीवित रखें। इस सम्बन्ध में मेरा यह भी स्पष्ट आदेश है कि ज्योतिष्पीठ शिष्य परम्परा में वे ही शिष्य शंकराचार्य पद के लिये उपयुक्त माने जायेंगे जो दण्डी सन्यासी हों और जो पंचगौड़ ब्राह्मणों में से हों तथा जिन का जन्म उत्तर भारत वर्ष में ही हुआ हो, क्योंकि उत्तर भारत में जन्म लेने के नाते वे उत्तर भारत के आचार, विचार व्यवहार भाषा-भाव आदि से भली भाँति परिचित रहेंगे। और इससे धर्म-प्रचार कार्य में सुविधा ही रहेगी। यह विधान सदा रखा जायेगा, कि भविष्य में

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ज्यातिष्पीठ परम्परा में जो शिष्य शंकराचार्य पद पर नियुक्त हों वे दण्डी सन्यासियों में से ही हों। दण्डहीन सन्यासी अथवा जब तक ज्योतिर्मठ के शिष्यों में उपयुक्त शिष्य प्राप्ति होंगे तब तक अन्य तीन पीठों के शिष्य परम्परा में जो ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य पद अभिषिक्त एवं प्रतिष्ठित न होंगे। यदि ज्योतिष्पीठ परम्परा में शंकराचार्य पद के योग्य पंचगौड़ ब्राह्मण दण्डी सन्यासी प्राप्त न हो तो उस दशा में श्री आदिशंकराचार्य द्वारा स्थापित अन्य तीन पीठों की शिष्य परम्परा में से भी जैसा ऊपर लिखाया है, कोई योग्य पंचगौड़ ब्राह्मण सरस्वती, आश्रम तीर्थ नाम के दण्डी स्वामियों में से ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित ऊपर लिखे अनुसार किया जा सकता है।''

ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज द्वारा लिखी गई तथा-कथित वसीयत में जिन चार नामों का उल्लेख किया गया था, उन्हें वर्णाश्रम धर्मानुयायी संस्थाओं एवं सनातन धर्मानुयायी वर्णाश्रमी विद्वानों ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद के लिए अनुपयुक्त माना क्योंकि भगवान् आद्य शंकराचार्य द्वारा मठाम्नाय एवं महानुशासन में वर्णित योग्यताओं के धारक वे नहीं थे। स्वामी शांतानन्द जी, गोरखपुर में दप्तरी का कार्य १४/-रु. मासिक पर करते थे, पं. द्वारकाप्रसाद शास्त्री उस समय गृहस्थ थे। उन्होंने सन् १९८० ई. में धर्मसम्राट् पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज से सन्यास की दीक्षा ली थी। स्वामी विष्णुदेवानन्द बहुत कम पढ़े लिखे थे। स्वामी परमानन्द जी एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण किये परन्तु उनके दाहिने पैर का अंगूठा कटा हुआ था और धर्म-शास्त्रों में अंग-भंग को शंकराचार्य बनना तो दूर सन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है। स्वामी परमानन्द जी का छोडकर शेष तीनों नामांकित व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रह चुके थे। गृहस्थों को शंकराचार्य बनाने की ज्योतिर्मठ की परम्परा नहीं है।

जब वर्णाश्रम धर्मानुयायी विद्वानों और भारतधर्म महामण्डल को उक्त तथाकथित वसीयत का पता चला तो उन्हींने उसे अस्वीकार कर दिया। ध्यातव्य है कि श्री भारतधर्म महामण्डल ने उक्त पीठ की १६५ वर्षों

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बाद खोज की थी, ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त किया था और अपने घोषणा पत्र में आचार्य पद रिक्त होने पर दूसरे पीठाधीश्वर को नियुक्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित कर रखा था। उसी अधिकार के तहत श्री भारतधर्म महामण्डल ने अन्य पीठों की सहमति, सनातनधर्मानुयायी संस्थाओं एवं वर्णाश्रम धर्मानुयायी विद्वानों की उत्कट इच्छा एवं पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज की सहर्ष स्वीकृति से योगिराज, परमतपस्वी स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस पट्टाभिषेक समारोह में द्वारकाशारदापीठ के तत्कालीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, धर्मसम्राट् परमपूज्य अनन्त श्री विभूषित स्वामी करपात्री जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज, पं. द्वारका प्रसाद शास्त्री, स्वामी विष्णुदेवानन्द सरस्वती जी महाराज तथा स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराज जी भी उपस्थित थे। इन सभी लोगों ने काशी में स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का अपने हाथों से अभिषेक किया था। इसके पश्चात् ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम में भी परमपूज्य स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का अभिषेक किया गया। वे लगभग २० वर्षों तक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर विद्यमान रहे। जब वे अस्वस्थ हो गये तो उन्होंने उक्त पद के गुरुतर भार को वहन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा धर्मसम्राट् पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, सनातन धर्मानुयायी संस्थाओं, श्री भारतधर्म महामण्डल, काशी विद्वत्परिषद, अखिल भारतीय धर्मसंघ को यह सूचित करवाया कि उनके स्थान पर स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज का ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर अभिषेक कर दिया जाय। उनके इस प्रस्ताव को सभी संस्थाओं ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सन् १९७३ ई.में पूज्यपाद स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज के ब्रह्मीभूत हो जाने के पश्चात् उनकी इच्छा का

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सम्मान करते हुए दिल्ली में अत्यन्त धूमधाम से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज के योग्य शिष्य परम तपस्वी एवं विद्वान् पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज के अनन्य स्नेहपात्र सहयोगी स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज का अभिषेक किया।

उक्त अभिषेकोत्सव में द्वारका और पुरी के दोनों शंकराचार्य जी महाराज स्वयं पधारे थे। शृंगेरी के जगद्गुरु जी महाराज के प्रतिनिधि उनकी ओर से उपस्थित हुए थे। भारत धर्म महामण्डल, अखिल भारतीय धर्मसंघ, तथा काशी विद्वत्परिषद् के प्रतिनिधियों ने उक्त अभिषेक में सक्रिय भाग लिया था तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम धर्मसम्राट् पूज्यपाद अनन्त श्री विभूषित स्वामी करपात्री जी महाराज के तत्वावधान में संचालित हुआ था। तब से लेकर अद्यावधि पूज्यपाद अनन्त श्री विभूषित स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज जगद्गुरु शंकराचार्य पद का भार अत्यंत प्रभावी ढंग से वहन कर रहे हैं। तीनों पीठों के शंकराचार्यों, सनातन धर्मानुयायी संस्थाओं, वर्णाश्रम धर्मानुयायी विद्वानों एवं धर्मसम्राट् पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज ने स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज को शुचि, जितेन्द्रिय, वेदवेदांग-विशारद एवं सभी शास्त्रोंके समन्वय का ज्ञाता मान्य करते हुए ज्योतिर्मठ पर अभिषिक्त किया था। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर तथा समाज कल्याण के लिये उनके द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन करते हुए द्वारकाशारदापीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ ने उन्हें योग्यतम आचार्य स्वीकार किया तथा अपने पत्र में द्वारकाशारदापीठ के शंकराचार्य के रूप में उन्हें प्रतिष्ठापित करने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी इच्छा मात्र का सम्मान करते हुए १९८२ ई. में पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज का श्री द्वारकाशारदापीठ के शंकराचार्य पद पर शृंगेरी के जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज द्वारा अभिषिक्त किया गया। तब से आज तक परम पूज्य श्रीचरण

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

दोनों पीठों के आचार्य पद का गुरुतर भार वहन करते आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मठाम्नाय एवं महानुशासन में एक पीठ पर दो शंकराचार्य का होना निषिद्ध किया गया है परन्तु एक ही व्यक्ति दो पीठों का आचार्य न हो ऐसी मनाही कहीं नहीं की गई है। जिस प्रकार एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल एक साथ हो सकता है परन्तु एक ही राज्य के दो राज्यपाल एक साथ नहीं हो सकते। ऐसी ही व्यवस्था शांकरपीठों के सन्दर्भ में भी समझी जानी चाहिए। यह आचार्य श्री के निम्न वचनों से स्वतः स्पष्ट है।

एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षणसम्मतः।
तत्तत्पीठक्रमेणैव न बहुर्युज्यते क्वचित् ।।

परिव्राडार्य-मर्यादां मामकीनां यथाविधि।
चतुष्पीठाधिगां सत्तां प्रयुंज्याच्च पृथक् पृथक् ।।

अर्थात् किसी पीठ के आचार्य के ब्रह्मत्त्व प्राप्ति के अनन्तर उस पीठ पर एक ही लक्षण सम्मत (मठाम्नाय महानुशासन में वर्णित योग्यताओं के धारक) आचार्य का उस पीठ में अभिषेक होना चाहिये और कभी भी एक से अधिक आचार्य का अभिषेक नहीं होना चाहिए। ऊपर श्लोक में आचार्य ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि उनकी मर्यादा से सम्पन्न एवं तत्तल्लक्षण युक्त एक ही आचार्य अलग-अलग चारों पीठों के आचार्यत्त्व का दायित्त्व वहन कर सकता है। व्याकरण की दृष्टि से जहाँ परिव्राड् (कर्ता) तथा प्रयुञ्ज्याद् (क्रिया) एकवचन है वही इनका कर्म चतुष्पीठाधिगां सत्तां बहुत्व का बोधक है अर्थात् एक ही आचार्य चारों पीठों की सत्ता का भोक्ता हो सकता है।

जिस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की तथाकथित वसीयत को आमान्य कर स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का शंकराचार्य पद पर

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अभिषेक किया गया था उसी समय पं. रामजी त्रिपाठी उर्फ स्वामी शान्तानंद जी ने अपने कुछ सहायकों के साथ वाराणसी के सिद्धगिरिबाग स्थित मठ का ताला तोड़कर मठ में प्रवेश किया और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के तथा कथित वसीयत के आधार पर अपने को ज्योतिष्पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। उनका उक्त पद पर किसी ने अभिषेक भी नहीं किया। ताला तोड़कर उन्होंने मठ की बहुमूल्य सम्पत्ति और बड़ीमात्रा में नगद धनराशि को भी अपने कब्जे में ले लिया। उनका यह कहना था कि उक्त मठ स्वामी ब्रह्मानन्द जी की व्यक्तिगत सम्पत्ति की श्रेणी में था और वे किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते थे। वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। उक्त सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति थी और स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज उसके एक मात्र ट्रस्टी थे। श्री भारतधर्म महामण्डल ने ज्योतिर्मठ की भूमि के सम्बन्ध में एक न्यास पत्र (डिक्लेरेशन आफ ट्रस्ट) लेखबद्ध करके दिनांक-१४/५/१९४१ ई. को उसे रजिस्टर्ड करा दिया था। उसी न्यास पत्र द्वारा काशी क्षेत्र में श्री वरुणा तट पर स्थित आश्रम भी स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज को समर्पित कर दिया था। अतः उपर्युक्त सभी चल अचल सम्पत्ति ज्योतिष्पीठ की है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के उक्त पद पर अभिषेक हो जाने के कारण उक्त ट्रस्ट ज्योतिष्पीठ की उस परम्परा से जुड़ गया जिसका प्रारंभ भगवान् आद्य शंकराचार्य ने करके त्रोटकाचार्य जी को स्वयं उत्तराधिकारी बनाया। अतः उक्त पद पर अभिषिक्त होने वाले प्रत्येक विद्वान् के लिये मठाम्नाय एवं महानुशासन में वर्णित योग्यताओं का धारण करना आवश्यक हो गया अर्थात् यदि कोई ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ जाय जो पवित्र जितेन्द्रिय बालब्रह्मचारी वेद वेदांग का विशारद और शास्त्रों के समन्वय का जानकार न हो तो विद्वान् मनीषी उसका निग्रह करके उसे हटा सकते है। मठाम्नाय एवं महानुशासन की इस उक्ति तथा आचार्य पद के लिये स्वामी शान्तानन्द जी

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

की सर्वथा अनुपयुक्तता को ध्यान में रखकर विद्वानों ने स्वामी शान्तानंद जी को आचार्य पद का दावा करने से मना किया और वहाँ से हट जाने को कहा। परन्तु विद्वानों के इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फलतः विद्वानों की ओर से तीन प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता पं.-कन्हैयालाल मिश्र की अनुमति लेकर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ९२ के अन्तर्गत वाराणसी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया उस वाद का मुख्य विषय यही था कि स्वामी शान्तानन्द जी अयोग्य हैं, उनमें मठाम्नाय एवं महानुशासन में वर्णित योग्यताओं का अभाव है अतः वे उस पद के लिये अयोग्य हैं। तत्कालीन महाधिवक्ता से भी यही बात बतलाकर उनकी राय मांगी गई थी। यदि उन्होंने यह राय दी होती कि यह वाद धारा ९२ मे चलने योग्य नहीं है तो सिविल सूट ही दाखिल किया गया होता। उक्त वाद में अनेक विद्वानों की गवाहियां हुई और साक्ष्यों का मूल यही था कि स्वामी शान्तानन्द जी अयोग्य हैं।

वादियों की ओर से हिन्दू विधि के प्रसिद्ध विद्वान् तथा अधिवक्ता श्री पी.आर. दास ने अतिरिक्त जिला जज वाराणसी के न्यायालय में बहस की थी। उन्होंने न्यायालय को यह स्पष्ट किया था कि सामान्य मठों के महन्थों एवं शंकराचार्यो में अन्तर होता है। सामान्य मठों के महंथों के लिए मठ की सम्पत्ति की रक्षा करने की सामर्थ्य मात्र रखना ही उनकी योग्यता होती है। जबकि शंकराचार्यों का पद एक मिशन है। उसमें आचार्य का दायित्त्व शांकरसिद्धान्तों का प्रचार करना होता है। इसीलिए शंकराचार्य केवल कान फूंकने वाला आचार्य नहीं होता, उसे अपने शिष्यों तथा अन्य अस्तिवादी तथा श्रद्धालु जनों की शंकाओं का समाधान भी करना होता है। इसीलिए उसे वेद-वेदांगादि विशारद तथा सभी शास्त्रों के समन्वय का ज्ञाता होना आवश्यक है। उसकी कम से कम योग्यता यही होती हैं कि वह प्रस्थानत्रयी का ज्ञाता होना आवश्यक है। आचार्य शंकर के भाष्य

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सहित दश उपनिषद ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता यही प्रस्थानत्रयी के रूप में जाने जाते हैं। अतः यदि उक्त लक्षण से युक्त कोई आचार्य न हो तो वह आचार्य पद पर अभिषिक्त नहीं हो सकता, और यदि वह अभिषिक्त होता है तो शांकर-मतानुसार ऐसा होना ही शांकरमठ की सम्पत्ति का दुरुपयोग करना है। विद्वान् अधिवक्ता ने यह बताया कि जिस प्रकार कोई ट्रस्ट बनाकर विद्यालय संचालन करे और उस विद्यालय के प्राचार्य पद पर किसी अयोग्य व्यक्ति को बैठा दिया जाय या वह अयोग्य व्यक्ति स्वयं प्राचार्य बन बैठे तो वह उस ट्रस्ट के उद्देश्यों और उस सम्पत्ति का दुरुपयोग करना होगा। क्योंकि जिस ज्ञान-दान के लिए उस ट्रस्ट का निर्माण हुआ है एक अशिक्षित एवं अयोग्य व्यक्ति उस कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकता। श्री दास ने यह बात भी जोर देकर कही कि स्वामी शान्तानंद जी के ऊपर अयोग्यता का आरोप लगया गया है। उनका यह कर्तव्य होता था कि न्यायालय में उपस्थित होकर अपने ऊपर अयोग्यता का आरोप झूठा सिद्ध करते। चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए उनके ऊपर अयोग्यता का आरोप प्रमाणित हो गया। स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज को अयोग्य व्यक्ति को शंकराचार्य मनोनीत करने का अधिकार नहीं था।

दिनांक २०/१२/६२ को दिए गये अपने निर्णय में विद्वान् अतिरिक्त जिला जज ने शांतनन्द जी की अयोग्यता के विषय में वादियों की ओर से दिए गए साक्ष्यों की प्रमाणिक माना और यह निर्णय दिया कि स्वामी शांतानन्द जी मठाम्नाय एवं महानुशासन में वर्णित योग्यताओं के धारक नहीं है। विद्वान् न्यायाधीश ने यह भी निर्णय दिया था कि स्वामी शान्तानन्द जी का यह कर्त्तव्य था कि वेद-वेदांग विशारद विद्वानों से अपनी विद्वत्ता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते या विश्वविद्यालय या धार्मिक जगत् में उच्च पद पर बैठे लोगों से अपना परीक्षण कराकर अपनी विद्वत्ता सिद्ध करते। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जिन गवाहों को उन्होंने अपनी विद्वत्ता

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

के परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया था वे अधिकांशतः उनके चेला या शिष्य थे जो उन्हीं से सम्बद्ध थे । उनकी शैक्षणिक योग्यता वादियों की ओर से प्रस्तुत विद्वानों से बहुत कम थी। न्यायालय ने यह स्पष्टरूप से निर्णय कर दिया कि संस्कृत भाषा एवं वेद-वेदांगों का ज्ञान जो शंकराचार्यों के लिए आवश्यक है वह शांतानन्द जी में नहीं था अतः वे शंकराचार्य बनने के योग्य नहीं हैं। स्वामी ब्रह्मानन्द जी उन्हें अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं कर सकते थे और ज्योतिष्पीठ पर उनकी नियुक्ति अवैध है। परन्तु विद्वान् न्यायाधीश ने इस तकनीकी आधार पर वादियों का वाद खारिज कर दिया कि स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज ज्योतिष्पीठ के विधि-सम्मत शंकराचार्य हैं और उनका यह कर्त्तव्य था कि वाद में पक्षकार बनकर शान्तानन्द जी को पद से हटा देते और न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में घोषणा करा देते । चूँकि वे इस वाद में पक्षकार नहीं बने हैं अतः धारा ९२ के अर्न्तगत यह बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । परन्तु विद्वान् न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को मुकदमें का कोई खर्च नहीं दिलवाया क्योंकि उन्होंने यह निर्धारित कर दिया था कि ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य पद अथवा उसकी सम्पत्ति पर शान्तानन्द जी का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें सिविल सूट के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उच्चन्यायालय ने भी उसी तकनीकी आधार पर यह वाद खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया था कि ट्रस्टी अपने व्यक्तिगत अधिकार की घोषणा की प्रार्थना करे अथवा प्रतिवादियों के अधिकारों के न होने की प्रार्थना करे। जब कभी किसी न्यास के पद से सम्बद्ध अधिकार का दावा किया जाता है अथवा दूसरे के पक्ष में उस दावे को निरस्त करने की मांग की जाती है तो ऐसे वाद धारा ९२ के अन्तर्गत प्रतिस्थापित नहीं किये जा सकते। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि धारा ९२ के अन्तर्गत जो वाद प्रतिस्थापित किया जाता है उसमें अधिकार के सार्वजनिक

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

स्वरूप की बात होती है और न्यायालय का निर्देश तभी प्राप्त होता है जब अमानत में खयानत का आरोप सिद्ध हो।

इन मुकदमों के निर्णयों को देखते हुए जब १९७३ में अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज ने ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य का पदभार ग्रहण किया तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आने के बाद ही सिवनी के जिला न्यायालय में कोर्टफीस देकर एक सिविल सूट दाखिल किया। स्वामी शान्तानन्द जी ने अपनी सुविधानुसार उक्त सूट को इलाहाबाद जिला न्यायालय में स्थानान्तरित करवा लिया जो आज भी विचाराधीन है। उक्त सिविल सूट के चार प्रतिवादियों में से स्वामी शान्तानंद जी पद त्याग कर चुके हैं तथा स्वामी द्वारकेशानन्द जी, स्वामी विष्णुदेवानन्द जी तथा स्वामी परमानन्द जी का स्वर्गवास हो चुका है। आश्चर्य की बात है कि स्वामी वासुदेवानन्द जी अपने को ज्योतिष्पीठ का शंकराचार्य कहते हैं जबकि स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज के तथा कथित वसीयत में उनका नाम भी नहीं है। स्वामी विष्णुदेवानन्द जी की वसीयत के आधार पर वे अपने को स्वामी शान्तानन्द जी द्वारा अभिषिक्त होकर शंकराचार्य मानते है। यदि हम स्वामी ब्रह्मानन्द जी की वसीयत पर ध्यान दें तो भी यह बात वैध प्रमाणित नहीं होती । क्योंकि जिस समय स्वामी विष्णुदेवानन्द जी दिवंगत हुए थे उस समय उनका वाराणसी के न्यायालय में स्वामी द्वारकेशानन्द जी से मुकदमा चल रहा था। अतः विवादित होने के कारण वे वसीयत कर ही नहीं सकते थे और स्वेच्छा या पदत्याग कर देने के कारण स्वामी शान्तानन्द जी को किसी को शंकराचार्य बनाने का अधिकार नहीं था।

जहाँ तक स्वामी वासुदेवानन्द जी का प्रश्न है, उनमें मठाम्नाय एवं महानुशासन में वर्णित योग्यताएं नहीं हैं। वे गृहस्थाश्रम का सुख भोग चुके हैं। ये बातें शांकर सम्प्रदाय में अनुचित मानी जाती हैं। यह स्पष्ट

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

किया जाता चुका है कि शंकराचार्य का पद एक मिशन है, इसलिए शंकराचार्य सम्पत्ति की रक्षा के लिए नहीं होते वरन् सम्पत्ति उनमें मठ के कार्यों के सम्पन्न करने के लिए समाहित होती है। जिसे अंग्रेजी में "ऑफिस मेन्टीनेन्स" कहा जाता है । अतः शांकर सम्प्रदाय में आचार्य पद की अपात्रता ही उस पद का दुरुपयोग या अमानत में खयानत है। ऐसा लगता है कि धारा ९२ के मुकदमें में वादियों के अधिवक्तागण न्यायालयों को इस बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट न करा सके। फलतः इस बिन्दु का निर्णय सिविल सूट में ही होना सम्भव दिखता है। सबसे दुःखद पहलू तो यही है कि हिन्दू विधि में अब ऐसी कोई कानूनी धारा लागू नहीं की जा सकती जिसके द्वारा इतने ऊँचे पद पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी के द्वारा अपात्र व्यक्तियों के भी बैठ जाने पर उन्हें तत्काल हटाया नहीं जा सकता। यदि कानून हमें ऐसा कोई संरक्षण नहीं देता तो हम अत्यन्त सम्मान के साथ न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाकर यह कहना चाहेगें कि अब जबकि न्यायपालिका अत्यंत गतिशील एवं सक्रिय हो चुकी है तथा वह तकनीकी त्रुटियों को अधिकारों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने देती तो इस सन्दर्भ में भी कम से कम योग्यता के सम्बन्ध में निर्णीत बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष्पीठ की गद्दी पर अवैध रूप से बैठे अयोग्य व्यक्तियों एवं उनकी परम्परा को अवैध घोषित कर हटाने की घोषणा कर देनी चाहिए। यदि विधि कोई ऐसा उपचार नहीं देती तो उसमें वादियों का क्या दोष है परन्तु इससे हिन्दू धार्मिक जगत् में मानसिक बेचैनी होती है। उच्च पद विवाद का विषय बनता है तथा धार्मिक जनता को जो क्षति होती है उसकी पूर्ति किसी भी उपाय द्वारा सम्भव नहीं है। विवाद की अवधि में आचार्य के उपदेश से आध्यात्मिक घनीभूतता के वातावरण के सर्जन मे कठिनाई होती है तथा पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक कृत्य भी प्रभावित होते हैं। अयोग्य व्यक्तियों को हटाए जाने की विधिक असमर्थता का ही यह फल है

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

कि आज ४० व्यक्ति अपने को शंकराचार्य कहते हुए घूम रहे हैं और विभ्रम में पड़ा हिन्दू जनमानस अपने धर्म की अधोगति देखकर मन ही मन संत्रस्त हो रहा है ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के मनोनयन से मनोनीत व्यक्तियों में अपनी योग्यता बढ़ाने की ललक भी नहीं रह जाती क्योंकि वे यह समझ जाते है कि वसीयत में उनका नाम होने से उनके लिए शंकराचार्य का पद आरक्षित हो गया है और चाहे उनमें मठाम्नाय एवं महानुशासन में वर्णित योग्यताएं हों अथवा न हों, उनके लिए तो अचार्य पद आरक्षित ही है। अयोग्य व्यक्तियों की वसीयत में लड़ी लगा देने का यही स्वाभाविक परिणाम होता है और अन्तिमरूप में हिन्दूजनमानस को इनका कुफल भोगना पड़ता है। जो आज स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।

अन्तरिम समिति

यहाँ हम सुधी पाठकों को ध्यान स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात् की कुछ घटनाओं पर आकृष्ट करना चाहते है। परमपूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात् पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में एक अन्तरिम समिति बनायी गई थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य स्वामी जी महाराज के और्ध्वदैहिक कृत्यों को शास्त्रीय ढंग से सम्पन्न कराने एवं भण्डारे आदि का आयोजन करना था। उक्त समिति के ऊपर अन्य किसी कार्य का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया था। इसलिए ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज की तथा कथित वसीयत खुलते ही उक्त समिति स्वतः अस्तित्त्व-विहीन हो गई। उक्त समिति को न तो वसीयत के गुण-दोष पर विचार करने का अधिकार था और न ही किसी को आचार्य पद पर अभिषेक करने के लिये ही वह अधिकृत थी। यदि उक्त वसीयत को मानने या न मानने का

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अधिकार उसे होता तो शान्तानन्द जी को वह अभिषेक से वंचित कर सकती थी और स्वयं तब तक के लिए अस्तित्त्व में बनी रहती जब तक कि सनातन धर्मानुयायी धार्मिक संस्थाएं एवं वर्णाश्रमानुयायी विद्वान् आचार्य शंकर द्वारा निर्दिष्ट योग्यताओं के धारक व्यक्ति को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त न कर देते। चूँकि ऐसा करना उस समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसलिए समिति ने इस पर अपना कुछ निर्णय नहीं दिया। अतः स्वामी शान्तानन्द जी का यह तर्क कि अन्तरिम समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज ने उनका अभिषेक कराया था, इसलिए उनका अभिषेक वैध है, यह तर्कपूर्ण एवं विधि सम्मत नहीं है। यदि समिति ऐसा करती भी तो वह कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में ने होने के कारण स्वतः अवैध हो जाता।

जहाँ तक उत्तराधिकार की प्रक्रिया (मोड ऑफ सक्सेशन) का प्रश्न है, प्रत्येक ट्रस्ट डीड में उसकी प्रक्रिया का उल्लेख होता है। भारतधर्म महामण्डल द्वारा जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया गया था उसके प्रथम ट्रस्टी ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज थे। भारत धर्म महामण्डल ने उक्त ट्रस्ट डीड में स्थान रिक्त होने पर उत्तराधिकारी की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखा था। उस ट्रस्ट डीड में यह स्पष्ट कहा गया है कि ज्योतिष्पीठ के रिक्त होने की दशा में उस पर दूसरे पीठाधीश्वर शंकराचार्य को अभिषिक्त करने का अधिकार श्री भारतधर्म महामण्डल में सुरक्षित है। इसका कारण है कि चूँकि १६५ वर्षों बाद भी भारतधर्म महामण्डल ने जिस प्रक्रिया से ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज का अभिषेक किया था पीठ पर विवाद होने की स्थिति में भारत धर्म महामण्डल ही ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य अभिषेक कर सकता है और वही अभिषेक सर्वमान्य और विधिमान्य होगा। यदि स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज द्वारा निर्दिष्ट उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया (मोड ऑफ सक्सशेन) कुछ पीढियों तक चली होती तो

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

यह कहा जा सकता था कि ज्योतिष्पीठ के उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया वही होगी जो उन्होंने निर्दिष्ट किया था परन्तु उसका तो प्रारम्भ में ही विरोध हो गया, वर्णाश्रम धर्मानुयायी संस्थाओं एवं विद्वानों ने उन्हें अयोग्य मानकर ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में उनको मान्यता नहीं दी। अन्ततः न्यायालय ने भी उनको अयोग्य घोषित कर दिया। अतः स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज द्वारा निर्दिष्ट उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया प्रचलन में न आ सकी। दूसरी तरफ भारत धर्म महामण्डल ने ज्योतिष्पीठ रिक्त होने की दशा में उत्तराधिकारी की नियुक्ति का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा था और उस अधिकार का प्रयोग कर उसने अन्य तीनों पीठों के शंकराचार्यो की सहमति, सनातनधर्मी संस्थाओं एवं वर्णाश्रम धर्मानुयायी विद्वानों की स्वीकृति तथा समाज की उत्कट इच्छा का ध्यान रखते हुए परमवीतराग स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज को ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार भारत धर्म महामण्डल ने पद रिक्त होने की दशा में जो उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया (मोड ऑफ सक्सेशन) निर्धारित की थी वही चली। उक्त निर्णय की वैधता पर न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज की तथाकथित वसीयत में जो मोड ऑफ सक्शेसन दिया गया था वह कभी कार्यान्वित ही नहीं हो सका। अतः उसके आधार पर आचार्यों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति का प्रश्न ही विधि की दृष्टि से आधारहीन है।

इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की पन्थनिरपेक्षता की नीति भी सन्देह के घेरे में आ गई है। पन्थ एवं निरपेक्षता का तात्पर्य किसी भी धर्म के आन्तरिक मामले में सरकार की हस्तक्षेप विहीनता से है । परन्तु वह बदरीनाथ मन्दिर एवं ज्योतिर्मठ में लगने वाली शंकराचार्य जी की गद्दी अभी भी अनन्त श्री विभूषित ज्योतिष्पीठ एवं द्वारकाशारदापीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज को नहीं सौंप रही है।

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बदरीनाथ मंदिर मात्र मंदिर नहीं है वरन् वह ज्योतिर्मठ का एक अंग है और शंकराचार्य जी के अधीन हुए बिना उसकी व्यवस्था अपूर्ण है तथा भगवान् आदि शंकराचार्य की इच्छा के विपरीत है। सही है कि उक्त पीठ पर अन्य दो कथित शंकराचार्य भी अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह भारतधर्म महामण्डल द्वारा अभिषिक्त तथा अन्य तीनों पीठों के शंकराचार्यों द्वारा समर्थित एवं वर्णाश्रम धर्मानुयायी विद्वानों द्वारा पुष्टकृत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज को यह गद्दी सौंप दे।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख किया था कि स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का अभिषेक वैध था उनके विरुद्ध मठ की सम्पत्ति के दुरुपयोग का आरोप भी नहीं था। ऐसी स्थिति में वादियों ने उनके रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को विकल्प के रूप में शंकराचार्य बनाने की बात क्यों की थी? लगता है कि वे मात्र यह दिखाना चाहते थे कि वे सार्वजनिक हितों के हितैषी हैं और स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज के वैयक्तिक हितों के हितैषी नहीं है। परन्तु इस सन्दर्भ में इतना ही निवेदन है कि वादकारियों ने अपने वादपत्र में यह बिन्दु जिस कारण से भी बनाए हों यह बात उनके वादपत्र की है, तथ्य की नहीं है। यह लड़ाई सम्पत्ति की भी नहीं है वरन् सिद्धान्त की लड़ाई है और इस बिन्दु की लड़ाई है कि शंकराचार्य के पद पर मठाम्नाय एवं महानुशासन में वर्णित योग्ताओं का धारक व्यक्ति ही बैठ सकता है और जो ऐसा नहीं है, उसे गद्दी पर बैठने का कथमपि अधिकार नहीं मिल सकता । योग्य व्यक्तियों को पद से हटाये जाने की न्यायालय के समुचित निर्देश की अनुपस्थिति ही स्वामी माधवाश्रम जैसे को भी अपने को तथाकथित शंकराचार्य कहाने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे लोग अपनी पद लिप्सा एवं कुचक्रों के कारण शंकराचार्य बनने लगे हैं और उक्त सैद्धान्तिक

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

लड़ाई को एक निश्चित मोड़ पर ले जाने में बाधक बने हैं। स्वामी माधवाश्रम जी भी अपने को काशी विद्वत्परिषद् एवं धर्मसंघ द्वारा नियुक्त शंकराचार्य कहते हैं। यह तथ्य भी गले नहीं उतरता। जिन विद्वानों का नाम उन्होंने अपने समर्थन में लिया है, उनमें से अधिकांश उक्त समर्थन का खण्डन कर चुके हैं और धर्मसंघ तीन खण्डों में विभक्त हो चुका है। धनलोभी विद्वान् शंकराचार्यों की नियुक्ति में अपनी भागेदारी नहीं कर सकते। सनातन धर्म की मान्य मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों को अर्थलाभ के लोभ से पूज्य बनाने वाले तथा सनातन धर्म के विपरीताचरण करने वाली संस्थाओं को प्रमाण-पत्र देने में तत्पर रहने वाले विद्वान उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया के अंग नहीं हो सकते। अतः यदि कुछ लोगों ने लोभवशाद् स्वामी माधवाश्रम जी को मान्यता दी है जो अमान्य है। क्योंकि स्वामी माधवाश्रम गृहस्थ रहे चुके हैं और कहा जाता है कि उनका पुत्र भी उनके साथ रहता है।

स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज की वसीयत का अनुशीलन

ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज परम तपस्वी वीतराग एवं त्रिकालदर्शी महात्मा थे। उन्हें भावी दृष्यों का पूर्वानुमान था। ऐसी स्थिति में वे ऐसे लोगों को नामित वहाँ कर सकते थे जो एक-एक करके संसार छोड़ते गए हों। उनकी तथाकथित इच्छापत्र की इच्छा भी पूरी नहीं होती। वसीयत का अनुशीलन और उनकी त्रिकालदर्शिता यह सिद्ध करती है कि वे स्वामी शान्तानन्द जी को अन्तिम क्रम पर रखना चाहते थे। परन्तु निहित स्वार्थ वादियों ने उनके द्वारा नामित नामों में परिवर्तन कर उसके क्रमों में भी परिवर्तन कर दिया है इसका परिणाम यह हुआ है कि एक

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अयोग्य व्यक्ति अपने को उस तथाकथित वसीयत के आधार पर शंकराचार्य घोषित करता है। जिस क्रम से वसीयत हमारे सामने आई है उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि वसीयत कर्ता यह मानकर चल रहे है कि स्वामी शान्तानन्द जी पहले संसार छोड़ेंगे,फिर उसके बाद द्वारका प्रसाद शास्त्री (स्वामी द्वारकेशानन्द सरस्वती) फिर विष्णुदेवानन्द जी और अन्त में स्वामी परमानन्द जी ब्रह्मलीन होंगे। पर घटनाएं ठीक इसके विपरीत घटती है। सर्वप्रथम स्वामी परमानन्द जी महाराज की मृत्यु होती है, इनका वसीयत में अन्तिम नाम था । और उक्त तथाकथित वसीयत के अनुसार इन्हें ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति का अधिकार था। उसके पश्चात् स्वामी विष्णुदेवानन्द जी महाराज की मृत्यु होती है जो वसीयत में तीसरे क्रम पर थे और तत्पश्चात् वसीयत में दूसरे क्रम वाले द्वारकेशानन्द सरस्वती जी महाराज की मृत्यु होती है । इसके बाद विष्णुदेवानन्द जी और फिर सबसे अन्त में पदत्याग करने के पश्चात् स्वामी शान्तानन्द जी की मृत्यु होती है। स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। अतः ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा हेर-फेर की गई है । कहा जाता है कि इसके पूर्व भी एक वसीयत लिखी गई थी जिसमें कुछ अन्य लोगों के नाम थे। वसीयत की अन्य बातें यथावत रखकर बाद में नामों में परिवर्तन कर दिया गया है ऐसा आभास सम्पूर्ण वसीयत के अनुशीलन से हो रहा है। शंकराचार्य एक ही शंकराचार्य बना सकते हैं वे शंकराचार्यों की लड़ी नहीं बना सकते। वसीयत की एक दूसरी बात भी उसकी अवैधता का संकेत दे रही है। यह बात सर्वविदित है कि शांकरपीठ में भगवान् आद्य शंकराचार्य की परम्परा एवं उनके मठाम्नाय एवं महानुशासन के विपरीत किसी प्रकार की कार्यवाही वैध नहीं होगी। आद्य शंकराचार्य जी द्रविड़ शिशु थे और वे ब्राह्मणों के पंचद्राविड़ सम्प्रदाय के थे ।उन्होंने भी शंकराचार्य के पद को पंचद्राविड़ या पंचगौड़ के संकीर्ण

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बन्धन में बांधने की परिकल्पना नहीं की थी । परन्तु *स्वामी पंचगौड़ ब्राह्मणों में से ही होगा।* यह शांकर सिद्धान्त के विपरीत है इससे संकीर्णता आती है और यह चारों शंकराचार्यों की एकजुटता के मार्ग में बाधक हैं। सनातन धर्मी ब्राह्मण की परिभाषा में पंचद्राविड़ एवं पंचगौड़ दोनों आते हैं और दोनों ब्राह्मणों में से ही दण्डी सन्यासी हो सकते हैं और उनमें जो भी शुचि, जितेन्द्रिय, वेद-वेदांग विशारद एवं सभी शास्त्रों के समन्वय का जानकार है वही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है अतः इस दृष्टि से भी स्वामी ब्रह्मानन्द जी की वसीयत की विश्वसनीयता सन्देह के घेरे में आ जाती है। ऐसी वसीयतों से सनातन धर्म की हानि होती है और अन्य लोगों को भी सनातन धर्म की परम्परा के विपरीत वसीयत लिखने तथा अपात्र लोगों को आचार्य बनाने की प्रेरणा मिलती है । साथ ही आज के युग में जब प्रत्येक क्षेत्र में माफियाराज चल रहा है, बलात् डरा धमकाकर अपने पक्ष में वसीयत लिखवा लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगेगी जिससे अपात्रों का चयन होने लगेगा और मठाम्नाय एवं महानुशासन के "कमाण्ड" रद्दी की टोकरी में फेंक दिये जायेंगे। इससे कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा तो पूरी हो सकती है परन्तु सनातन धर्मी मान्यताओं को गहरा धक्का पहुँचेगा जो भारत की धार्मिक आध्यात्मिक परम्परा के विपरीत है । वसीयत लिखने की षड्यंत्र पूर्ण परम्परा ही स्वामी शांतानन्द जी के पक्ष की ओर से चलाई जा रही है- मठाम्नाय के अनुसार इस प्रकार की वसीयतें अवैध हैं।

अब समय आ गया है जब हिन्दू सनातनी जनता को इस सन्दर्भ में आगे आना चाहिए तथा श्रीभारतधर्म महामण्डल, सनातन धर्मानुयायी अन्य संस्थाएं एवं वर्णाश्रमी विद्वानों एवं अन्य पीठों के शंकराचार्यों द्वारा सम्पुष्ट स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज को ज्योतिष्पीठाधीश्वर की गद्दी सौंप देने के लिए सरकार पर दबाव देना चाहिए और अपात्र लोगों को शंकराचार्य पद पर न बैठने की प्रेरणा देकर उनसे सनातन धर्म की

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

मर्यादाओं की रक्षा कराने का संकल्प लेना चाहिए। इस सन्दर्भ में दिनांक ६/१२/१९९३ को श्री भारत धर्म महामण्डल ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा है कि स्वामी माधवाश्रम जी शंकराचार्य के पद की गरिमा की धज्जियाँ उड़ाने में उपकरण न बनें और मठाम्नाय एवं महानुशासन की मर्यादाओं को भंग न करें। यदि अन्य सभी सनातन धर्मानुयायी संस्थाएं मठाम्नाय एवं महानुशासन की मर्यादा बनाए रखना चाहती है, सनातन धर्म की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखना चाहती है तो उन्हें अपात्रों को हटाने की एक स्वर से मांग करनी चाहिए और अनन्त श्री विभूषित ज्योतिष्पीठ एवं द्वारकाशारदापीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज के नेतृत्व में शांकरमत की रक्षा में सदैव तत्पर रहना चाहिए।

परम हंस मिश्र
(न्यासाध्यक्ष)
श्री भारतधर्म महामण्डल द्वारा स्थापित समस्त ट्रस्ट मण्डल

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

परिशिष्ट

कुछ विचारणीय बिन्दु

१.सन्यासियों की कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होती। उनकी सम्पत्ति उनकी पुस्तकें, दण्ड, कमण्डलु होते हैं। जिसका अधिकारी उनका शिष्य होता है। अनेक शिष्यों की अवस्था में ग्रहण-धारण समर्थ अधिकारी है, इसी तरह शङ्कराचार्य के ब्रह्मीभूत होने पर उनके सुयोग्य शिष्य को ही अभिषेक का नियम है।

२.वसीयत की परम्परा तो अंग्रेजी राज से प्रारम्भ हुई है जबकि ये चारों मठ अंग्रेजी राज से बहुत पहले से अस्तित्व में हैं।

३.ज्योतिष्पीठ की गद्दी १६५ वर्षों तक उच्छिन्न रही और उससे पहले किसी शङ्कराचार्य ने वसीयत से उत्तराधिकारी घोषित किया हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता अतः वसीयत पारम्परिक विधान नहीं बन सकती।

४.वसीयत उसी अवस्था में मान्य हो सकती थी जब वह मठाम्नाय महानुशासन के विरुद्ध न होती।

५.आद्य शङ्कराचार्य दशविध ब्राह्मणों में से पंचद्रविड थे। तथाकथित वसीयत में " पञ्चगौड़ों तथा उत्तर भारतीयों में से ही" बनाने की बात शांकरी परम्परा तथा भगवान् आदि शङ्कराचार्य की अखण्ड भारत की संकल्पना के विपरीत है।

६.आदि शङ्कराचार्य द्वारा अभिषिक्त ज्योतिष्पीठ केप्रथम आचार्य त्रोटकाचार्य

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

स्वयं दक्षिण के थे। तथा द्वारका में अभिषिक्त सुरेश्वराचार्य उत्तर भारतीय थे।

७.ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि द्वारका में केवल गुजराती, शृङ्गेरी में कर्णाट तथा पुरी में उड़िया बनाया जाय, ऐसा निर्देश आदि शङ्कराचार्य विरुद्ध होने के कारण अमान्य है।

८.शङ्कराचार्य को पीठ की मर्यादाओं का पालन अनिवार्य होता है। श्रुति (वेद) में विदेशयात्रा का निषेध है। अतः विदेशगामी शङ्कराचार्य कैसे हो सकता है?

९.वसीयत को आँख मूंदकर नहीं माना जा सकता। वसीयत को अपनी परम्पराओं तथा पीठ संस्थापक आद्य शङ्कराचार्य की मूल भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए।

१०.वसीयत सुझाव, प्रस्ताव मात्र हो सकती है। यदि वह स्मृत्याचार मान्य परम्पराओं के विपरीत नहीं है तो निश्चय स्वीकार्य है। प्रश्न यह है कि यदि कोई शङ्कराचार्य मोहवश किसी ब्रह्मचारी, गृहस्थ ,ब्राह्मणेतर, स्त्री, अज्ञानी अथवा विक्षिप्त को वसीयत कर दे तो क्या वह मान्य होगी?

११.लोकतन्त्र में भी यद्यपि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है परन्तु फिर भी प्रत्याशी की योग्यताएँ निर्धारित हैं और उनके अनुरूप न होने पर क्या कोई चुनाव लड़ सकता है?

१२.क्या कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा संचालित तथा प्रभुत्व वाले विद्यालय में बिना अर्हताएं पूरी किये प्रधानाचार्य बन सकता है? अथवा कोई प्रधानाचार्य अपने पुत्र को बिना अर्हता प्रधानाचार्य बना सकता है?

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

१३.खेद की बात है कि तथाकथित वसीयत में ज्योतिष्पीठ की उद्धारक संस्था भारत धर्म महामण्डल के महान प्रयासों को कम करके आँका गया है।

१४.प्रस्तुत तथाकथित वसीयत के अनुसार अपने उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार स्वामी परमानन्द को था, परन्तु वे सबसे पहले दिवंगत हो गए फिर स्वामी शान्तानन्द अथवा विष्णुदेवानन्द को वसीयत करने अथवा उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार कहाँ से मिल गया?

१५. यदि स्वामी ब्रह्मानन्द जी की वसीयत महानुशासन विरुद्ध न होती और सर्वमान्य हो जाती तो सम्भव था कि वसीयत की परम्परा बन जाती। परन्तु ऐसा न हो सका। क्यों कि प्रारम्भ में ही उसका विरोध हो गया।

१६.शंकराचार्य का पद मात्र महन्थी का पद नहीं है, वह एक मिशन है। सम्पत्ति तो उसके सत्कार्यों के सञ्चालन का उपकरण मात्र है, अतः शंकराचार्य पद को सम्पत्ति के साथ जोड़ना भूल है।

१७.स्वामी ब्रह्मानन्द जी को ज्योतिष्पीठ का शंकराचार्य बनाकर भारत धर्म महामण्डल निश्चिन्त हो गई थी, उसकी कामना थी कि अब परम्परा चलती रहे परन्तु दुर्भाग्य से स्वामी ब्रह्मानन्द जी के बाद ही विवादपैदा हो गया। फिर भी भारत धर्म महामण्डल प्रतीक्षा करता रहा कि कुछ हल निकल आवे। अन्ततः स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी के ब्रह्मलीन होने के बाद परम्परा के दूषित या उच्छिन्न हो जाने की आशंका से उसने परम वीतराग बालब्रह्मचारी सर्वशास्त्र पारंगत स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज का ज्योतिष्पीठपर अभिषेक कर अपने महनीय दायित्व की पूर्ति की।

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

१८. प्रसन्नता का विषय है कि पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महामण्डल तथा विद्वानों की अपेक्षा से कहीं आगे जाकर सनातनधर्म की सेवा तथा पीठ की गरिमा बढ़ा रहे हैं।

१९. ज्योतिष्पीठ तथा आदि शङ्कराचार्य द्वारा हीं स्थापित अन्य तीनों पीठ सनातनधर्म के प्रकाश स्तम्भ हैं, इनकी रक्षा न केवल भारतधर्म महामण्डल जैसी सनातनधर्मी संस्थाओं अपितु प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है।

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

श्रीमाता पब्लिकेशन्स् के अन्य प्रकाशन

अयोध्या बदली नहीं (उपन्यास)

(अयोध्या की घटनाओं का आईना)

रोशन प्रेमयोगी पृष्ठ१६२ मूल्य-सजिल्द १२०.०० अजिल्द ८०.००

गंगा-दण्डकम्

डॉ. कमला पाण्डेय पृष्ठ १२.०० मूल्य १५.००

(दुर्लभ दण्डक छन्द में निबद्ध स्तुति,व्याख्या तथा भावार्थ सहित)

रक्षत गंगाम् (गंगा सप्तशती)

डॉ. कमला पाण्डेय (यन्त्रस्थ)

पर्यावरण चेतना से अनुप्राणित मौलिक महाकाव्य,हिन्दी तथा अंग्रेजी भावानुवाद सहित

श्रीविद्या-समाराधना विधिः

श्री सदानन्द ब्रह्मचारी (यन्त्रस्थ)

सर्वसिद्धिकर श्रीयन्त्र की प्रामाणिक पूजा-विधि,हिन्दी निर्देश सहित

शब्दकौस्तुभ-समीक्षा

डॉ. उमाशंकर पाण्डेय (यन्त्रस्थ)

श्री शिवपूजा विधानम्

श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी (धर्मशास्त्र-पुराणेतिहासाचार्य) (यन्त्रस्थ)

राजराजेश्वरी स्तोत्र-सुधासिन्धु

श्री सदानन्द ब्रह्मचारी (यन्त्रस्थ)

श्रीविद्या राजराजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी सम्बन्धित स्तोत्रों का बृहद् संकलन

श्री शुक्रवार महालक्ष्मी-व्रत पूजा विधानम्

श्री कैवल्यानन्द ब्रह्मचारी (यन्त्रस्थ)

क्या हिन्दू धर्म खतरे में?

श्री सदानन्द ब्रह्मचारी (यन्त्रस्थ)

जानकीजीवनम् महाकाव्यस्य परिशीलनम्

डॉ. सनत्कुमारोपाध्यायः (यन्त्रस्थ)

Prof. Madhav Prasad Lamichhane Collection, Kathmandu, Nepal